

सं०-7/मु.मं.चि.सहा.-28-01/2018...10(7)A

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानंद चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 12-06-18

विषय:-स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200 अन्य कार्यक्रम-0012-मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष विपत्र कोड-20-2235602000012 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 31-06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा इकाई में कुल ₹41,25,00,000/- (एकतालीस करोड़ पच्चीस लाख) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक शीर्ष/उपशीर्ष अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश सं०-996(14) दिनांक-05.06.18 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 31-06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा इकाई में कुल ₹41,25,00,000/- (एकतालीस करोड़ पच्चीस लाख) रुपये मात्र का आवंटन दी जाती है।

2. व्यय का वहन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-2019 में मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200 अन्य कार्यक्रम-0012-मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष विपत्र कोड-20-2235602000012 अन्तर्गत 31-06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा इकाई में आय-व्यय आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

3. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 तथा बिहार कोषागार संहिता 2011 के प्रावधानों द्वारा विहित प्रक्रियानुसार राशि की निकासी सुनिश्चित की जायेगी।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे। इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के खाते में अंतरित की जायेगी।

5. राशि का व्यय विभागीय राज्यादेश सं०-996(14) दिनांक-05.06.18 में निहित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत किया जायेगा।

6. विगत वित्तीय वर्ष की उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से अविरोध उपलब्ध कराया जाय।

7. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

12/6/18

(सच्चिदानंद चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव

② ol


ज्ञापांक:- 10(7)6

पटना, दिनांक:- 12-06-18

प्रतिलिपि-महालेखाकर (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ के सचिव/प्रशाखा-7 एवं कार्यवाह सहायक/लेखा शाखा को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को ज्ञाप सं0-996(14) दिनांक-05.06.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विगत वित्तीय वर्ष का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति प्रशाखा-7 को उपलब्ध करायी जाय।


12/6/18


सरकार के विशेष सचिव



उपबन्ध एवं आवंटन की स्थिति :-

क्रम	प्राथमिक इकाई एवं कोड	उपबन्ध	वर्तमान आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5
1	31-06 सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	1,25,00,00,000	41,25,00,000	83,75,00,000

(एकतालीस करोड़ पच्चीस लाख)


12/6/18

सरकार के विशेष सचिव

